

.::आयुक्त (अपील्स) का कार्यालय,वस्तु एवं सेवा करऔर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क:: O/O THE COMMISSIONER (APPEALS), GST & CENTRAL EXCISE,

द्वितीय तल,जी एस टी भवन / 2nd Floor, GST Bhavan, रेस कोर्स रिंग रोड, / Race Course Ring Road,



राजकोट / Raikot – 360 001 Tele Fax No. 0281 - 2477952/2441142Email: commrappl3-cexamd@nic.in

रजिस्टर्डडाकए.डी. द्वारा :-

DIN-20230264SX0000444BF5

अपील / फाइलसंख्या/ क Appeal /File No.

मूलआदेशसं / OIO No.

V2/22/EA2/RAJ/2022

63/D/2021-22

21-02-2022

दिनांक/

अपील आदेश संख्या(Order-In-Appeal No.): ख

RAJ-EXCUS-000-APP-39-2023

आदेश का दिनांक /

15.02.2023

जारी करने की तारीख /

17.02.2023

Date of Order:

घ

Date of issue:

श्री शिव प्रताप सिंह, आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वारा पारित /

Excise/ST / GST, Rajkot / Jamnagar / Gandhidham :

Passed by Shri Shiv Pratap Singh, Commissioner (Appeals), Rajkot.

अपर आयुक्ता/ संयुक्त आयुक्ता/ उपायुक्ता/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्का/ सेवाकर/वस्तु एवंसेवाकर, राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरतिखित जारी मूल आदेश से सुजित: / Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central

अपीलकर्ता&प्रतिवादी का नाम एवं पता /Name & Address of the Appellant & Respondent :-

M/s. RamjanAmadJeda, Patti Area, Jakariya Pir ni Vadh, Maliya(Miyana), Dist. Morbi- 363670.

इस आदेश(अपील) से व्यथित कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीके में उपयुक्त प्राधिकारी / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।/ Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way.

सीमा शुल्क ,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील,केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम ,1944 की धारा 35B के अंतर्गत एवं वित्त अधिनियम, **1994** की धारा **86** के अंतर्गत निम्नलिखि+त जगह की जा सकती है *॥* (A)

Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section 86 of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-

वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट ब्लॉक नं 2, आर° के॰ पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए ॥ (i)

The special bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi in all matters relating to classification and valuation.

उपरोक्त परिन्छेद 1(a) में बताए गए अपीलों के अलावा शेष सभी अपीलें सीमा शुल्क,केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट)की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका,,द्वितीय तल, बहुमाली भवन असावी अहमदाबाद- ३८००१६को की जानी चाहिए 1/ (ii)

To the West regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at, 2nd Floor, Bhaumali Bhawan, Asarwa Ahmedabad-380016in case of appeals other than as mentioned in para-1(a) above

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुक्क (अपील)नियमावली, 2001, के नियम 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गये प्रपत्र EA-3 को चार प्रतियों में दर्ज किया जाना चाहिए। इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुक्क की माँग, ज्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम,5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जुमा शुक्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुक्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रिजटार के नाम से किसी भी साविजनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, केंक की उस शाखा होना चाहिए। संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-(iii) पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुक्क जमा करना होगा ।/

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 / as prescribed under Rule 6 of Central Excise (Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against one which at least should be accompanied by a fee of Rs. 1,000/- Rs.5000/-. Rs.10,000/- where amount of duty demand/interest/penalty/refund is upto 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asst. Registrar of branch of any nominated public sector bank of the place where the bench of any nominated public sector bank of the place where the bench of stay shall be accompanied by a fee of Rs. 500/-.

अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1994की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(1) के तहत निर्धारित प्रपन्न S.T.-5में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसकी प्रति साथ में संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और इनमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां सेवाकर की माँग ,ब्याज की माँग और लगाया गया जुर्माना, रुपए 5 लाख या उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो क्रमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- रुपये अथवा 10,000/- रुपये का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के सहायक रिजस्टार के नाम से किसी भी सार्विजनक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक की उस शाखा में होना चाहिए जहां संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- रुपए का निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।/ (B)

The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act, 1994, to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules, 1994, and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of \$2.5.5 Lakhs or less, \$8.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than firty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest tax &

केन्द्रीय उत्प

वित्त अधिनियम, 1994की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपत्र S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुक्क अथवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुक्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) और आयुक्त द्वारा सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुक्का सेवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश की प्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी (i)

The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) &9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissioner authorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise/ Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सेस्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनयम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मांग के 10 प्रतिशत (10%), जब मांग एवं जुर्माता विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, बशते कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रुपए से अधिक न हो। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत "मांग किए गए शुल्क" में निम्न शामिल है (i) धारा 11 डी के अंतर्गत रकम (ii) सेनवेट जमा की ली गई गलत राशि (iii) सेनवेट जमा नियमावली के नियम 8 के अंतर्गत देय रकम विचाराधीन के बार्ग के पाराधान वित्तीय (सं॰ 2) अधिनियम 2014 के आरंध से पर्व किसी अपीलीय पाधिकारी के समक्ष विचाराधीन (ii)

- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं° 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन

- बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं॰ 2) अधिनयम 2014 के आरभ से पूर्व किसा अपालाय प्राधिकारी के समक्ष विचारिधान स्थान अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगे॥

For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores,

Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include:

(i) amount determined under Section 11 D;
(ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
(iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules

- provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

भारत सरकार कापुनराक्षण आवदन :
Revision application to Government of India:
इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नलिखित मामलों में,कंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35EE के प्रथमपरंतुक के अंतर्गतअवर सचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई,वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाना चाहिए। /
A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001 under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid: भारत सरकार कोपुनरीक्षण आवेदन : (C)

यदि माल के किसी नुकसान के सामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने से भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह से दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी भंडारण में माल के प्रास्करण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी कारखाने या किसी भंडारण में या किसी कारखाने या किसी कारखान (i)

भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिबेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। I In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India. (ii)

यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty. (iii)

सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुक्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडीट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (न॰ 2),1998 की धारा 109 के द्वारा नियत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या बाद में पिरत किए गई है। (iv) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.

उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुक्क (अपील)नियमावली,2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, इस आदेश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए। उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदेश व अपील आदेश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुक्क अधिनयम, 1944 की धारा 35-EE के तहत निर्धारित शुक्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। /
The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account. (v)

पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए। जहाँ सलग्न रकम एक लाख्न रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो तो रूपये 1000 / का भुगतान किया जाए। (vi) The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/; where the amount involved is more than Rupees One Lac.

यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश हैं तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य से बचने के लिए यथास्थित अपोलीय नयाधिकरण को एक अपोल या केद्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers various numbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, notwithstanding the fact that the one appleal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/-(D)

यथासंशोधित न्यायालय शुक्क अधिनियम, 1975, के अनुसूची-। के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुक्क टिकिट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act,1975, as amended. (E)

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982. (F)

उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील द्वाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेबसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in (G)



अपील आदेश /ORDER-IN-APPEAL

Appeal has been filed by Assistant Commissioner, CGST Division-I, Morbi (hereinafter referred to as the 'Revenue') against Order-in-Original No. 63/D/2021-22 dated 22.02.2022 (hereinafter referred to as 'impugned order') passed by the Assistant Commissioner, Central Excise & CGST, Division-I, Morbi (hereinafter referred to as 'sanctioning authority') in favour of M/s Ramjan Amad Jeda, Patti Area, Jakariya Pir ni Vadh, Maliya (Miyana), Morbi-363 670 (hereinafter referred to as the 'respondent')

- 2. Briefly stated the facts of the case are that on the basis of income data received from the Income Tax department for 2014-15, it was revealed that the respondent had earned income of Rs.85,74,226/- towards consideration for providing services. It appeared that the respondent had not obtained service tax registration and did not pay any service tax and also did not file service tax returns as provided in the Service Tax law. Therefore a show cause notice was issued demanding service tax of Rs.10,59,774/-. The adjudicating authority observed that the respondent provided service of transportation of soil within the business premises of M/s Dev Salt Private Ltd and hence not covered under GTA service. The adjudicating authority, therefore, dropped the proceedings vide the impugned order.
- 3. Being aggrieved, the 'Revenue' has filed the present appeal on the ground that the adjudicating authority has erred in holding that the services rendered by the respondent are not taxable as per Negative List of Section 66D(p) of the Finance Act 1994. The adjudicating authority, the revenue contended that, was required to adjudicate the show cause notice based on the scope of the show cause notice issued as well as the contention of the noticee/ respondent substantiated by the evidences, documents and information and ought to have examined and evaluated the defence submission light of the statutory provisions. The adjudicating authority also erred in holding the service as of 'transportation of goods by road, other than by GTA' but also erred in holding exempt nature of service of transportation of salt, which was neither contended by the respondent nor forthcoming from the document submitted. It is also contended that the adjudicating authority ought to have appreciated the settled law position that onus to prove eligibility and admissibility of exemption from payment of tax lies upon the person claiming such entitlement.
- 4. Opportunities for personal hearing were given to the appellant as well as respondent on 07.12.2022, 23.12.2022, 11/12.01.2023 and 23/24/25.01.2023, the either the appellant nor the respondent appeared for personal hearing.

KY

Therefore, I proceed to decide the appeal on the basis of records available in file.

- 5. I have carefully gone through the facts of the case, the impugned order, grounds of appeal in the appeal memorandum and the submissions of the respondent. The point to be decided in the present appeal is whether the impugned order by which adjudicating authority dropped the demand is proper and legal.
- 6. In this regard, I find that, the show cause notice was issued only on the basis of data of income received from the Income Tax department demanding service tax without ascertaining the category of service. The adjudicating authority, on the basis of the documents submitted by the respondent, has concluded that the service provided by the respondent is transportation of goods by a person other than GTA which is covered under negative list as per Section 66D(p) of the Finance Act, 1994. The revenue in the present appeal, at one place, submitted that the service provided by the respondent is 'supply of tangible goods' and at another place contended that the service is 'business auxiliary service'.
- 7. In view of above, I set aside the impugned order and remand the matter back to the original authority for fresh consideration.
- ८. डिपार्टमेंट द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।
- 8. Appeal filed by the Revenue is disposed off as above.

सत्यापित / Attested

Superintendent Central GST (Appeals) Rajkot (शिव प्रताप सिंह/ SHIV PRATAP SINGH) आयुक्त (अपील)/Commissioner (Appeals)

By R.P.A.D.

	•			
सेवा में,				
रमज़ान आमद जेड़ा		•	•	
पट्टी एरिया, जाकरिया पीर	नि वाद	5		
मलिया (मियाना)	•			
मोरबी -363 670				

M/s Ramjan Amad Jeda,

Patti Area, Jakariya Pir ni Vadh, Maliya (Miyana), Morbi-363 670

प्रतिलिपि:-

- 1) मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद
- 2) प्रधान आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राजकोट आयुक्तालय, राजकोट
- 3) ऊप आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मंडल-।, मोरबी।

गार्ड फ़ाइल।

